आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–34 / 2023	
03.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–08.09.2023 को हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित थे। जबकि द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर, डॉ0 श्री राकेश कुमार आयोग में उपस्थित थे। प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर ने आयोग को समर्पित एक प्रतिवेदन के माध्यम से यह अवगत कराया था कि श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत बेबुनियाद है। प्रखण्ड आपूति पदाधिकारी द्वारा शिकायतों को बेबुनियाद बताये जाने पर पिछली सुनवाई में ही शिकायतकर्ता ने यह कहा था कि वे अपनी शिकायतों पर कायम हैं। आयोग में सुनवाई के दौरान आज शिकायतकर्ता ने लिखित तौर पर साक्ष्य समर्पित करते हुए अपनी शिकायतों एवं आरोपों को प्रमाणित करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अनुपस्थित हैं। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजते हुए निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये साक्ष्य एवं प्रमाण की जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx109	